प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26 सितम्बर, 2017 से 27 सितम्बर, 2017 को चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित बोर्ड रूम में सम्पन्न होने वाले कार्य परिषद की बैठक में निम्न महत्व पूर्ण बिन्दुओ पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया जिसमें महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है–

1. डॉ0 ओ0पी0 सिंह के सम्बंध में माननीय कार्य–परिषद ने पाया कि उनके द्वारा प्रमोशन के समय लगाये गये तीन अनुभव प्रमाण पत्रों मे से दो को सही पाया गया है तथा तीसरे प्रमाण पत्र के सम्बंध में माननीय कार्य–परिषद द्वारा यह कहा गया कि जांच रिपोर्ट में और डॉ0 ओ0पी0 सिंह द्वारा खुद भी स्वीकार किया गया है कि कुम्हरावा डिग्री कालेज का जो अनुभव प्रमाण पत्र उनके द्वारा दिया गया है। वो प्रमाणित संस्थान का न होने की वजह से मान्य नही है किन्तु प्रमाण पत्र फर्जी नही है।। अतः उनके द्वारा इस उपरोक्त अनुभव के आधार पर लिया गया लाभ निरस्त करते हुए उनकी वरिष्ठता मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मानको के आधार पर निर्धारित किया जाए। डॉ0 नईम अहमद के मामले में माननीय कार्यपरिषद द्वारा यह कहा गया कि डॉ0 नईम अहमद द्वारा एक ही समय में चिकित्सा अधिकारी, हैदर गढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द,जनपद बाराबंकी पर कार्यरत रहते हुए आनरेरी लेक्चर एरा मेडिकल कॉलेज का जो शैक्षिक अनुभव का प्रमाण पत्र लगाया गया है वो विधि के अनुसार सही नही है।
2. दोनो संकाय सदस्यों को दण्ड स्वरूप उनका वार्षिक वेतन मे बढ़ोत्तरी को एक वर्ष के लिए रोकने के लिए निर्णय लिया गया।
3. माननीय कार्य–परिषद द्वारा डॉ0 नईम अहमद और डॉ0 ओ0पी0 सिंह के प्रमोशन का लिफाफा विगत चार माह से अधिक समय से नही खोला गया है इसलिए उसे के0जी0एम0यू0 स्टेट्यूट्स और ऐक्ट के अनुसार मा0 कुलाधिपति को भेजने का निर्णय लिया गया।
4. डॉ0 संजय खत्री के प्रकरण में माननीय कार्यपरिषद द्वारा ऐक्ट के अनुसार 6 सदस्यों की अनुशासन समिति का गठन करने का निर्देश जारी किया गया।
5. डॉ0 सूर्य कांत के न्यायालय में लम्बित प्रकरण के सम्बंध में कार्य समिति मे प्रो0 सूर्य कांत का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। दो सदस्यों के जांच कमेटी द्वारा जांच किया जा रहा था जो कि एक्ट के मानकों अनुसार नही है उसे 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का निर्देश जारी किया गया।
6. मननीय कार्य परिषद द्वारा विभिन्न विभागों के 10 चिकित्सा शिक्षकों के प्रमोशन देने की सस्तुति तथा विभिन्न विभागों में नये चयनित अभ्यार्थियों को सहायक आचार्य के तौर पर नियुक्ति देने की संतुति की गई।
7. अन्य एजेण्डे में चिकित्सा विश्वविद्यालय के आई0टी0 सेल द्वारा खरीदे गये लैपटॉप के जांच के सम्बंध में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कि गई जिस पर निर्णय 13 अक्टूबर को लेने की बात कही गई है।
8. एस0जी0पी0आई0 के समान चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तो की परिनियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
9. डॉ0 एहसान सिददकी के प्रकरण में भारतीय चिकित्सा परिषद मे एक उप कमेटी का निर्णय आना शेष है।

10. कतिपय नव निर्मित विभागों के शिक्षकों को उनके मूल विभाग में उन्हे नियुक्त करने के सम्बंध में कार्य–परिषद के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि उक्त के सम्बंध में शासन से नवीन दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाएं।
11. माननीय कार्य–परिषद द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह दिनांक 23 दिसम्बर 2017 को निश्चित किया गया है समारोह के मुख्य अतिथि पदम भूषण एवं डॉ0 वी0सी0 रॉय सम्मान से सम्मानित डॉ0 बेले मोनप्पा हेगड़े` (डॉ0 बी0एम0 हेगड़े) होंगे। इसमें डॉ0 जी0 के0 रथ, निदेशक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली एवं डॉ0 सुधीर गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन पैथोलॉजी लैबोरेटरी मेडिसिन एवं माईक्रोबाोलॉजी एवं मॉलीक्यूलर जेनेटिक्स, यूनिवर्सिटि ऑफ कैलिफोर्निया को मानद उपाधि दिये जाने की संस्तुति की गई।

(प्रो0 नरसिंह वर्मा)
संकाय प्रभारी, मीडिया सेल
चिकित्सा संकाय, के0जी0एम0यू0

(प्रो0 विभा सिंह)
संकाय प्रभारी, मीडिया सेल
दंत संकाय, के0जी0एम0यू0